दैनिक जागरण
राष्ट्रीय संस्करण
नई दिल्ली, शनिवार, 17 अक्टूबर, 2015
www.jagran.com

कोलेजियम व्यवस्था अभी भी सवालों में

सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम व्यवस्था में सुधार पर मांगे सुझाव

■ जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भले सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को निरस्त कर न्यायाधीशों की नियुक्ति की पुरानी कॉलेजियम व्यवस्था फिर बहाल कर दी हो लेकिन कॉलेजियम व्यवस्था अभी भी सवालों के घेरे में है। उसमें सुधार की जरूरत है। ये बात सुप्रीम कोर्ट भी जानता है और इसीलिए कोर्ट ने कॉलेजियम व्यवस्था में सुधार पर विचार का मन बनाया है। कोर्ट इस पर 3 नवंबर को सुनवाई करेगा।

पांच न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से दिए आदेश में कहा कि वे 3 नवंबर को कॉलेजियम व्यवस्था में सुधार के मुद्दे पर विचार करेंगे। कोर्ट ने इस बारे में सरकार व अन्य पक्षकारों से सुझाव मांगे हैं। एनजेएसी कानून रद करने वाले पांच न्यायाधीशों में से दो ने कॉलेजियम व्यवस्था में खामियों को स्वीकार किया है और उसमें सुधार की जरूरत बताई।

जस्टिस कुरियन जोसेफ ने कहा है कि वे जस्टिस जे. चेलमेश्वर की राय से इत्तेफाक रखते हैं कि

पुरानी व्यवस्था पर 3 नवंबर को होगी सुनवाई

मौजूदा कॉलेजियम व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। भरोसे में कमी कॉलेजियम व्यवस्था की विश्वसनीयता को प्रभावित कर रही है। जैसा कि कई बार सिविक सोसाइटी ने कहा है। अक्सर गंभीर आरोप लगते हैं और कई बार ये बिल्कुल निराधार भी नहीं पाए गए। इसकी कार्यशैली बहुत व्यक्तिपरक होने की तरफ इशारा करती है। आरोप लगते हैं कि व्यक्तिगत कारणों से काबिल लोगों की अनदेखी हुई और सामाजिक और राष्ट्रीय हितों को भी नजरअंदाज किया गया। कुछ नियुक्तियों में जानबूझ कर देरी की गई ताकि किसी और को लाभ दिया जा सके। दिशानिर्देशों की अनदेखी कर चहेतों का चयन होता है जिससे नाकाबिल आते हैं। चाहें इसे गलत नियुक्ति न भी कहा जाए। कॉलेजियम व्यवस्था की तानाशाही से लोगों के स्वाभिमान और गरिमा को ठेस पहुंचती है। जस्टिस जोसेफ का कहना है कि इस तरह के आरोप कई बार लगते रहे हैं। ऐसे में कॉलेजियम व्यवस्था में सुधार पर विचार करने का समय आ गया है। इसमें अभी भी सुधार हो सकता है। जस्टिस जोसेफ ने इस ओर कार्यपालिका की चुप्पी को भी कारण माना है।

जस्टिस जे. चेलमेश्वर ने तो अपने फैसले में कॉलेजियम पर सवाल उठाते हुए जस्टिस दिनकरन के प्रकरण का जिक्र किया है। इतना ही नहीं जस्टिस रूमा पाल द्वारा कॉलेजियम पर उठाए गए सवाल का भी हवाला दिया है। जस्टिस रूमा पाल ने एक स्पीच में कहा था कि कॉलेजियम में सहमति ट्रेडिंग ऑफ से तय होती है। जस्टिस चेलमेश्वर ने कहा है कि अब इसमें सुधार करने का समय आ गया है। हालांकि जस्टिस जेएस केहर ने कॉलेजियम व्यवस्था की तारीफ की है और कहा है कि इसमें कुछ भी गोपनीय नहीं होता बल्कि नियुक्तियों के बारे में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच विचारों का लिखित आदान-प्रदान होता है।

ऐसे लागू हुआ था एनजेएसी कानून

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : न्यायाधीशों की नियुक्ति की मौजूदा कोलेजियम व्यवस्था पर उठ रहे सवालों को देखते हुए पिछले साल सरकार नियुक्ति की नई व्यवस्था देने वाला एनजेएसी कानून लाई थी। एनजेएसी को प्रभावी करने के लिए संविधान में 99वां संशोधन भी किया गया था। ये दोनों कानून लोकसभा और राज्यसभा में सर्वसम्मति से पारित हुए थे।

20 विधानसभाओं ने भी कानून को अपनी सहमति दी थी। जिसके बाद राष्ट्रपति की सहमति से कानून लागू भी हो गया था। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण अभी तक आयोग का गठन नहीं हुआ था।

कांग्रेस कोलेजियम के पक्ष में, वामो विरोध में

नई दिल्ली, एजेंसी : एनजेएसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कांग्रेस और वाम मोर्चा (वामो) दो भिन्न सिरों पर खड़ी दिख रही है। कांग्रेस जहां सरकार पर निशाना साधते हुए कॉलेजियम के पक्ष में खड़ी दिख रही है, वहीं न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए वामो ने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग होने की वकालत की है।

सुरजेवाला ने कहा, यह फैसला सरकार में 'भरोसे की कमी' को दर्शाता है

कांग्रेस और आप ने शुक्रवार को मोदी सरकार पर हमला किया। दोनों ने आरोप लगाया है कि अपने 17 माह के शासनकाल में सरकार ने संस्थागत स्वायत्तता का हनन किया है।

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेसी) अधिनियम, 2014 को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया है। यह फैसला सरकार में 'भरोसे की कमी' को दर्शाता है। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता आशुतोष ने कहा कि फैसले से न्यायपालिका की सर्वोच्चता स्थापित होती है। वाम दलों ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एनजेसी का जोरदार समर्थन किया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने न्यायाधीश के हाथों न्यायाधीश की नियुक्ति को उचित नहीं माना है। दोनों पार्टियों ने एनजेसी के लिए संसद में फिर से विधेयक पेश करने का आह्वान किया है।